भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2857

18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : मृदा क्षरण

2857. श्रीमती संजना जाटवः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि मृदा क्षरण, जो भारत की 30% कृषि योग्य भूमि को प्रभावित कर रहा है, कटाव, लवणीकरण और उर्वरता हानि के माध्यम से एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उठाए गए / उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है तथा सतत कृषि के लिए मृदा गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार मृदा गुणवत्ता क्षरण की चिंता से अवगत है। इसके समाधान के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की अनुशंसा करती है। आईसीएआर ने मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता में गिरावट को रोकने के लिए पौधों के पोषक तत्वों के अकार्बनिक और कार्बनिक (खाद, जैव उर्वरक आदि) दोनों स्रोतों के संयुक्त उपयोग और स्थान विशेष मृदा व जल संरक्षण उपायों का सुझाव दिया है। सरकार देश में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता स्कीम कार्यान्वित कर रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए कार्बनिक खाद और जैव उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। इस स्कीम के तहत अब तक 24.84 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड सृजित गए हैं। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता स्कीम के अंतर्गत मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर 7 लाख प्रदर्शन, 93,781 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम

और 7,425 किसान मेले आयोजित किए गए हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से किसानों को परामर्श जारी किया जाता है। इसके अलावा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड परामर्श जारी करने के लिए 70,002 कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया गया है।

आईसीएआर मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने/बनाए रखने के लिए प्रदर्शनों, सार्वजनिक अभियानों, प्रशिक्षण और मीडिया के माध्यम से कृषि में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले खेत की खाद, कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट, हरी खाद, ऑइल/ कोनसेंटरेटेड केक, जैव उर्वरक, बायोगैस अपशिष्ट आदि जैसे कार्बनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। जैव उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, आईसीएआर ने मृदा जैव विविधता-जैव उर्वरकों पर नेटवर्क परियोजना के तहत विभिन्न फसलों और मिट्टी के प्रकारों के लिए विशिष्ट जैव उर्वरकों के उन्नत और कुशल उपभेदों (स्ट्रेंस) को विकसित किया है।

सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य और जल धारण क्षमता में सुधार के लिए देश में प्राथमिकता के आधार पर जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। स्कीमों के तहत ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट बहुसंख्यक जैव उर्वरकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पशुधन एकीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को कार्यान्वित किया गया है, जिसमें मृदा कार्बनिक सामग्री, मृदा संरचना, पोषण में सुधार, मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए बायोमास मल्चिंग, बहु-फसल प्रणाली, ऑन-फार्म प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट का उपयोग जैसी पद्धतियाँ शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा, राष्ट्रीय जैविक प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ) नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शन दौरे, कार्यशालाएं (किसान मेले) आदि आयोजित करता है ताकि किसानों को फसल चक्र, अवशेष प्रबंधन और सतत खेती के तरीकों जैसी मृदा संरक्षण तकनीकों के बारे में जागरूक किया जा सके। ये पहल किसानों को मृदा स्वास्थ्य और दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

*****